राजस्थान सरकार वित्त विभाग (कर अनुभाग)

अधिसूचना जयपुर, फरवरी 12, 2018

राजस्थान स्वम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं० 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय के प्रयोजन के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में रिजस्ट्रीकृत स्वक ब्रोकर के पक्ष में निष्पादित, उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 44 के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट मुख्तारनामे पर प्रभार्य स्वम्प शुक्क घटाया जायेगा और एक सौ रुपये प्रभारित किया जायेगा।

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-186] राज्यपाल के आदेश से,

> प्रवीण मुखा, शासन सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN FINANCE DEPARTMENT (TAX DIVISION)

NOTIFICATION Jaipur, February 12, 2018

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that stamp duty chargeable on the power of attorney specified in clause (c) of Article 44 of the Schedule to the said Act executed in favour of stock broker registered with Securities and Exchange Board of India for the purpose of buying and selling of securities shall be reduced and charged rupees one hundred.

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-186] By order of the Governor,

(Praveen Gupta)
Secretary to the Government